

संसद में आईएलआर

यहां 04.12.2023 से 21.12.2023 तक आयोजित संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों में उठाए गए और चर्चा किए गए और भारत की संसद की वेबसाइट (लोकसभा और राज्यसभा) पर पेश किए गए आईएलआर संबंधी मुद्दों को हमारे पाठकों/हितधारकों की जानकारी के लिए शामिल किया गया है।

लोक सभा

1.1 क्या सरकार का राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एनपीपी) के अंतर्गत नदियों को जोड़ने का प्रस्ताव है। यदि हां, तो उसके प्रस्तावों का विवरण और वर्तमान स्थिति तथा मानस-संकोश-तिस्ता-गंगा (एम-एस-टी-जी) लिंक परियोजना की प्रगति क्या है?

भारत सरकार ने जल अधिशेष वाले बेसिनों से जल की कमी वाले बेसिनों/क्षेत्रों में जल का अंतरण करने के लिए 1980 में एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एनपीपी) तैयार की थी। राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (राजविअ) ने एनपीपी के अंतर्गत 30 लिंकों (प्रायद्वीपीय घटक के अंतर्गत 16 और हिमालयी घटक के अंतर्गत 14) की पहचान की है। नदियों को परस्पर जोड़ने संबंधी 30 परियोजनाओं में से 11 लिंकों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर), 24 लिंकों की व्यवहार्यता रिपोर्टें (एफआर) और सभी 30 लिंकों की पूर्व व्यवहार्यता रिपोर्टें (पीएफआर) पूरी कर ली गई हैं। तीन लिंकों नामतः केन-बेतवा लिंक परियोजना (केबीएलपी), संशोधित पार्वती-कालीसिंध-चंबल (पीकेसी) लिंक परियोजना जिसे पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) और गोदावरी-कावेरी लिंक परियोजना के साथ विधिवत एकीकृत किया गया है, को एनपीपी के अंतर्गत प्राथमिकता लिंक परियोजनाओं के रूप में अभिज्ञात किया गया है। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के अंतर्गत केन-बेतवा परियोजना नदियों को आपस में जोड़ने संबंधी पहली परियोजना है जिसका कार्यान्वयन शुरू किया गया है। एनपीपी के अंतर्गत मानस-संकोश-तीस्ता-गंगा (एम-एस-टी-जी) लिंक परियोजना सहित नदियों को आपस में जोड़ने वाली परियोजनाओं का विवरण और वर्तमान स्थिति नीचे **अनुलग्नक-1** में दी गई है।

अनुलग्नक -1

एनपीपी के अंतर्गत नदियों को आपस में जोड़ने वाली परियोजनाओं का विवरण और वर्तमान स्थिति

क्र.सं.	नाम	लाभान्वित राज्य	स्थिति
1	क) महानदी (मणिभद्रा)-गोदावरी (दौलेश्वरम) लिंक	आंध्र प्रदेश और ओडिशा	एफआर पूर्ण
	ख) वैकल्पिक महानदी (बारमूल) - ऋषिकुल्या - गोदावरी (दौलेश्वरम) लिंक	आंध्र प्रदेश और ओडिशा	एफआर पूर्ण
2	गोदावरी (पोलावरम) - कृष्णा (विजयवाड़ा) लिंक	आंध्र प्रदेश	एफआर पूर्ण
3	क) गोदावरी (इंचमपल्ली) - कृष्णा (नागार्जुनसागर) लिंक	तेलंगाना	एफआर पूर्ण
	ख) वैकल्पिक गोदावरी (इंचमपल्ली)-कृष्णा (नागार्जुनसागर) लिंक *	तेलंगाना	डीपीआर पूर्ण
4	गोदावरी (इंचमपल्ली/एसएसएमपीपी) - कृष्णा (पुलिचिंताला) लिंक	तेलंगाना और आंध्र प्रदेश	डीपीआर पूर्ण

5	क) कृष्णा (नागार्जुनसागर)-पेन्नार (सोमासिला) लिंक	आंध्र प्रदेश	एफआर पूर्ण
	ख) वैकल्पिक कृष्णा (नागार्जुनसागर) - पेन्नार (सोमासिला) लिंक *	आंध्र प्रदेश	डीपीआर पूर्ण
6	कृष्णा (श्रीशैलम) - पेन्नार लिंक	आंध्र प्रदेश	मसौदा डीपीआर पूर्ण
7	कृष्णा (अलमट्टी) - पेन्नार लिंक	आंध्र प्रदेश और कर्नाटक	मसौदा डीपीआर पूर्ण
8	क) पेन्नार (सोमासिला) - कावेरी (ग्रैंड एनीकट) लिंक	आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी	एफआर पूर्ण
	ख) वैकल्पिक पेन्नार (सोमासिला) - कावेरी (ग्रैंड एनीकट) लिंक *	आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी	डीपीआर पूर्ण
9	कावेरी (कट्टलाई) - वैगई - गुंडर लिंक	तमिलनाडु	डीपीआर पूर्ण
10	क) पार्वती-कालीसिंध - चंबल लिंक	मध्य प्रदेश एवं राजस्थान	एफआर पूर्ण
	ख) संशोधित पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक (ईआरसीपी के साथ विधिवत एकीकृत)	मध्य प्रदेश एवं राजस्थान	मसौदा पीएफआर पूर्ण
11	दमनगंगा-पिंजाल लिंक (डीपीआर के अनुसार)	महाराष्ट्र (केवल जल मुंबई को आपूर्ति)	डीपीआर पूर्ण
12	पार-तापी-नर्मदा लिंक (डीपीआर के अनुसार)	गुजरात और महाराष्ट्र	डीपीआर पूर्ण
13	केन-बेतवा लिंक	उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश	कार्यान्वयन शुरू किया गया है
14	पंजा - अचनकोविल - वैप्पार लिंक	तमिलनाडु और केरल	एफआर पूर्ण
15	बेदती - वरदा लिंक	कर्नाटक	डीपीआर पूर्ण
16	नेत्रवती - हेमवती लिंक **	कर्नाटक	पीएफआर पूर्ण

* मणिभद्र और इंचमपल्ली बांधों पर लंबित सहमति के कारण गोदावरी नदी के अप्रयुक्त जल को मोड़ने के लिए वैकल्पिक अध्ययन किया गया था और गोदावरी (इंचमपल्ली/जनमपेट)-कृष्णा (नागार्जुन सागर)-पेन्नार (सोमासिला)-कावेरी (ग्रैंड एनीकट) लिंक परियोजनाओं की डीपीआर पूरी की गई है। गोदावरी-कावेरी (ग्रैंड एनीकट) लिंक परियोजना तैयार की गई है, जिसमें गोदावरी (इंचमपल्ली/जनमपेट) कृष्णा (नागार्जुन सागर), कृष्णा (नागार्जुनसागर)-पेन्नार (सोमासिला) और पेन्नार (सोमासिला)-कावेरी (ग्रैंड एनीकट) लिंक परियोजनाएं शामिल हैं।

** आगे और अध्ययन नहीं किए गए हैं क्योंकि कर्नाटक सरकार द्वारा येतीनहोल परियोजना के कार्यान्वयन के बाद इस लिंक के माध्यम से नेत्रवती बेसिन में पथांतरण के लिए कोई अधिशेष जल उपलब्ध नहीं है।

हिमालयन घटक

क्र.सं.	लिंक का नाम	लाभान्वित देश/राज्य	स्थिति
1.	कोसी-मेची लिंक	बिहार और नेपाल	पीएफआर पूर्ण
2.	कोसी-घाघरा लिंक	बिहार और उत्तर प्रदेश और नेपाल	एफआर पूर्ण
3.	गंडक - गंगा लिंक	उत्तर प्रदेश और नेपाल	एफआर पूर्ण (भारतीय भाग)
4.	घाघरा - यमुना लिंक	उत्तर प्रदेश और नेपाल	एफआर पूर्ण (भारतीय भाग)
5.	शारदा-यमुना लिंक	उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड	एफआर पूर्ण
6.	यमुना-राजस्थान लिंक	हरियाणा और राजस्थान	एफआर पूर्ण
7.	राजस्थान-साबरमती लिंक	राजस्थान और गुजरात	एफआर पूर्ण
8.	चुनार-सोन बैराज लिंक	बिहार और उत्तर प्रदेश	पीएफआर पूर्ण
9.	सोन बांध - गंगा लिंककी दक्षिणी सहायक नदियाँ	बिहार और झारखंड	पीएफआर पूर्ण
10.	मानस-संकोश-तीस्ता-गंगा (एम-एसटी-जी) लिंक	असम, पश्चिम बंगाल & बिहार	एफआर पूर्ण
11.	जोगीघोपा-तिस्ता-फरक्का लिंक (एम-एस-टी-जी का विकल्प)	असम, पश्चिम बंगाल और बिहार	पीएफआर पूर्ण (प्रस्ताव छोड़ दिया गया है)
12.	फरक्का-सुंदरबन लिंक	पश्चिम बंगाल	एफआर पूर्ण
13.	गंगा (फरक्का)-दामोदर-सुवर्णरेखा लिंक	पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड	एफआर पूर्ण
14.	सुवर्णरेखा-महानदी लिंक	पश्चिम बंगाल और ओडिशा	एफआर पूर्ण

1.2 नदी जोड़ परियोजना की मुख्य विशेषताएं। देश में नदियों को जोड़ने वाली परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति, उन परियोजनाओं को उजागर करना जो योजना और कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। क्या सरकार ने नदियों को परस्पर जोड़ने संबंधी परियोजनाओं से संबंधित निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को सरल और कारगर बनाने के लिए कोई कार्यबल या समर्पित व्यवस्था गठित की है और यदि हां, तो तत्संबंधी विवरण क्या है और इन पहलों की निगरानी और शीघ्रता में तेजी लाने में सरकार की भूमिका क्या है और क्या नदियों को परस्पर जोड़ने संबंधी परियोजनाओं के संभावित जलवायु प्रभाव का आकलन करने के लिए व्यापक अध्ययन किए गए हैं और यदि हां, तो ऐसे अध्ययनों के निष्कर्षों और सिफारिशों का विवरण क्या है?

भारत सरकार ने जल की अधिकता वाले बेसिनों से जल की कमी वाले बेसिनों/क्षेत्रों में जल का अंतरण करने के लिए 1980 में एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एनपीपी) तैयार की थी। राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (राजविअ) ने एनपीपी के अंतर्गत 30 लिंकों (प्रायद्वीपीय घटक के अंतर्गत 16 और हिमालयी घटक के अंतर्गत 14) की पहचान की है। एनपीपी की मुख्य विशेषताएं जैसा कि अनुलग्नक-II में दिया गया है।

एनपीपी के अंतर्गत नदियों को परस्पर जोड़ने संबंधी 30 परियोजनाओं में से 11 लिंकों की विस्तृत परियोजना रिपोर्टें, 24 लिंकों की व्यवहार्यता रिपोर्टें और सभी 30 लिंकों की व्यवहार्यता पूर्व रिपोर्टें पूरी कर ली गई हैं। एनपीपी के अंतर्गत नदियों को आपस में जोड़ने संबंधी परियोजनाओं का विवरण और अद्यतन स्थिति **अनुलग्नक-1** में दी गई है (जो प्रश्न 1.1 में संलग्न है)।

एनपीपी के अंतर्गत पांच लिंक परियोजनाओं को प्राथमिकता वाली लिंक परियोजनाओं के रूप में पहचाना गया है, जैसे केन-बेतवा लिंक परियोजना (केबीएलपी), संशोधित पारबती-कालीसिंध-चंबल (पीकेसी) लिंक जो पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) और गोदावरी-कावेरी लिंक परियोजना(3 लिंक से मिलकर) के साथ विधिवत एकीकृत है। केन-बेतवा लिंक परियोजना एनपीपी के अंतर्गत पहली लिंक परियोजना है जिसका कार्यान्वयन शुरू किया जा चुका है। इस परियोजना को भारत सरकार द्वारा 08.12.2021 को इसके कार्यान्वयन के लिए मंजूरी दी गई थी, जिसकी अनुमानित लागत 44,605 करोड़ रुपये (वर्ष 2020-21 के मूल्य स्तर पर) और 39,317 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता के साथ, एक विशेष प्रयोजन वाहन, नामतः केन-बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण (केबीएलपीए) के माध्यम से थी। इस परियोजना को 8 वर्षों में पूरा करने की योजना है। प्रारंभिक ध्यान भूमि अधिग्रहण, प्रभावित लोगों के पुनर्वास और पुनर्स्थापन और पर्यावरण और वन मंजूरी की शर्तों को पूरा करने पर है।

संशोधित पार्वती-कालीसिंध-चंबल (पीकेसी) लिंक परियोजना से चंबल बेसिन के उपलब्ध जल संसाधनों का इष्टतम और आर्थिक रूप से उपयोग करने में मदद मिलेगी। परियोजना से संबंधित मुद्दों पर पक्षकार राज्यों मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच सहमति बनाने के प्रयास किए गए हैं। तथापि, यह पक्षकार राज्यों पर सर्वसम्मति बनाने का काम है।

गोदावरी बेसिन से 7000 एमसीएम जल के अंतरण के लिए गोदावरी (इंचमपल्ली)-कृष्णा (नागार्जुनसागर) लिंक, कृष्णा (नागार्जुनसागर)-पेन्नार (सोमासिला) लिंक और पेन्नार (सोमासिला)-गोदावरी वैकल्पिक लिंक योजना के अंतर्गत कावेरी लिंक लिंक की डीपीआर को अंतिम रूप दिया गया और अप्रैल 2021 में सभी पक्षकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी को परिचालित किया गया। लिंक परियोजना के कार्यान्वयन के लिए पक्षकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच सहमति बनाने के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रयास किए गए हैं। अब तक पक्षकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ पांच परामर्श बैठकें आयोजित की गई हैं। परामर्श बैठकों के दौरान लिए गए निर्णयों के आधार पर, राजविअ द्वारा एक तकनीकी व्यवहार्यता रिपोर्ट (टीएफआर) तैयार की गई और जनवरी, 2023 में पक्षकार राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को परिचालित की गई। हैदराबाद में 10.11.2023 को आयोजित पिछली परामर्श बैठक के दौरान, गोदावरी बेसिन से लगभग 4189 एमसीएम के अंतरण के लिए एक संशोधित प्रस्ताव के साथ-साथ बेदती-वरदा लिंक के माध्यम से कृष्णा बेसिन में पूरक के प्रस्ताव के संयोजन के साथ-साथ अन्य बातों के साथ-साथ विचार-विमर्श किया गया और परियोजना के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों पर पक्षकार राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को आम सहमति बनाने के प्रयास किए गए। हालाँकि, आम सहमति पर पहुँचना पक्षकार राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों पर निर्भर है।

भारत सरकार ने नदियों को आपस में जोड़ने संबंधी कार्यक्रम को उच्च प्राथमिकता दी है। निर्णय लेने की प्रक्रिया को सरल और कारगर बनाने तथा इन परियोजनाओं के कार्य में तेजी लाने के लिए सितंबर, 2014 में भारत सरकार द्वारा नदियों को परस्पर जोड़ने संबंधी विशेष समिति (एससीआईएलआर) का गठन किया गया था। विशेष

समिति की अब तक 20 बैठकें आयोजित की गई हैं। इसके अतिरिक्त, नदियों को परस्पर जोड़ने संबंधी कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यों में तेजी लाने के लिए अप्रैल, 2015 में नदियों को परस्पर जोड़ने संबंधी कार्यबल (टीएफआईएलआर) का भी गठन किया गया था और अब तक कार्यबल की 18वीं बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। इसके अलावा, नदियों को परस्पर जोड़ने संबंधी कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा वार्षिक आम बैठकों (एजीएम) और राजविअ सोसाइटी के शासी निकाय की बैठकों में भी नियमित आधार पर की जाती है। राजविअ सोसाइटी के वार्षिक आम बैठक और शासी निकाय को केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों से व्यापक अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं। राजविअ सोसाइटी की अब तक 36 एजीएम आयोजित की जा चुकी हैं, जबकि शासी निकाय ने अब तक 72 बैठकें की हैं।

प्रत्येक नदी जोड़ो परियोजना के लिए, एफआर और डीपीआर तैयार करने के चरण में विस्तृत पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) किया जाता है। ईआईए में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभावों की एक व्यवस्थित जांच शामिल है जो प्रस्तावित नदी जोड़ परियोजना के कारण भौतिक, जैविक और सामाजिक-आर्थिक पर्यावरण पर संभावित रूप से उत्पन्न या प्रेरित होंगे, जिसमें वायु पर्यावरण, भूमि पर्यावरण, ध्वनि पर्यावरण और जल पर्यावरण आदि शामिल हैं।

अनुलग्नक-II

एनपीपी के दो घटकों की मुख्य विशेषताएं नीचे दी गई हैं

क. प्रायद्वीपीय नदी विकास घटक: इसे निम्नलिखित चार प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है:

- महानदी-गोदावरी-कृष्णा-पेन्नार-कावेरी नदियों को आपस में जोड़ना और इन बेसिनों में संभावित स्थलों पर भंडारण का निर्माण: इस भाग में प्रमुख नदी प्रणालियों को आपस में जोड़ना शामिल है, जहां महानदी और गोदावरी बेसिन से अधिशेष जल को कृष्णा, पेन्नार और कावेरी नदियों के माध्यम से दक्षिण में जरूरतमंद क्षेत्रों में अंतरित करने का प्रस्ताव है।
- पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों को आपस में जोड़ना, मुंबई के उत्तर और तापी के दक्षिण में: इस योजना में मुंबई के महानगरीय क्षेत्रों में जल आपूर्ति नहर लेने का प्रावधान है; यह महाराष्ट्र में तटीय क्षेत्रों में सिंचाई भी प्रदान करता है।
- केन-चंबल नदी जोड़: यह योजना मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के लिए एक जल ग्रिड और यथासंभव अधिक से अधिक भंडारण द्वारा समर्थित नहर को जोड़ने का प्रावधान करती है।
- पश्चिम की ओर बहने वाली अन्य नदियों का पथांतरण: "पश्चिमी घाट" के पश्चिमी किनारे पर उच्च वर्षा कई धाराओं में बहती है। जो अरब सागर में गिरती है। पश्चिमी दिशा में नए क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त भंडारों द्वारा समर्थित एक परस्पर जोड़ने वाली नहर प्रणाली के निर्माण की योजना बनाई जा सकती है और सूखा प्रभावित क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुछ जल को पूर्व की ओर अंतरित करने की भी योजना बनाई जा सकती है।

ख. हिमालयी नदी विकास घटक:

हिमालयी नदी विकास घटक में मुख्य ब्रह्मपुत्र और इसकी सहायक नदियों को गंगा और गंगा को महानदी और आगे दक्षिण में जोड़ने के अलावा गंगा की पूर्वी सहायक नदियों के अधिशेष प्रवाह को पश्चिम में अंतरित करने के लिए नहर प्रणालियों को परस्पर जोड़ने सहित भारत, नेपाल और भूटान में गंगा और ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदियों पर भंडारणों के निर्माण की परिकल्पना की गई है।

ग. एनपीपी के लाभ:

एनपीपी के कार्यान्वयन से घरेलू और औद्योगिक आपूर्ति जल विद्युत, आदिके अन्य लाभों को प्रदान करने के अलावा, देश में 140 मिलियन हेक्टेयर की अंतिम सिंचाई क्षमता के ऊपर 35 मिलियन हेक्टेयर (हेक्टेयर) (सतही जल से 25 मिलियन हेक्टेयर और अतिरिक्त पुनर्भरण और भूजल के उच्च उपयोग द्वारा लगभग 10 मिलियन हेक्टेयर) का सिंचाई लाभ मिलेगा।

राज्य सभा

1.1 देश में नदियों को आपस में जोड़ने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों का नदी-वार विवरण, पहचान की गई परियोजनाओं, स्वीकृत निधियों और उन पर खर्च की गई निधियों का विवरण क्या है और इन परियोजनाओं के माध्यम से सिंचाई, पेयजल आपूर्ति और जल विद्युत उत्पादन के संबंध में लाभों का विवरण क्या है और इसकी अनुमानित लागत कितनी है?

अंतर-बेसिन जल अंतरण के लिए वर्ष 1980 में तैयार की गई राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एनपीपी) के अंतर्गत, राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (राजविअ) ने व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए 30 लिंक (प्रायद्वीपीय घटक के अंतर्गत 16 और हिमालयी घटक के अंतर्गत 14) की पहचान की है। 30 अभिज्ञात लिंक परियोजनाओं में से सभी 30 लिंकों की पूर्व व्यवहार्यता रिपोर्टें (पीएफआर), 24 लिंकों की व्यवहार्यता रिपोर्टें (एफआरएस) और 11 लिंकों की विस्तृत परियोजना रिपोर्टें (डीपीआर) पूरी कर ली गई हैं। नदियों को परस्पर जोड़ने (आईएलआर) के कार्यक्रम के अंतर्गत नदियों को अंतर्राज्यीय स्तर पर जोड़ने संबंधी प्रस्तावों का विवरण और वर्तमान स्थिति **अनुलग्नक-1** में दी गई है (जो लोक सभा प्रश्न सं 1.1 में संलग्न है)।

सरकार परामर्शी ढंग से नदियों को आपस में जोड़ने (आईएलआर) के कार्यक्रम का अनुसरण कर रही है और इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करती रही है। नदियों को परस्पर जोड़ने संबंधी कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए सितम्बर, 2014 में नदियों को परस्पर जोड़ने संबंधी एक विशेष समिति का गठन किया गया है। विशेष समिति की अब तक 20 बैठकें हो चुकी हैं। इसके अतिरिक्त, नदियों को आपस में जोड़ने संबंधी कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यों में तेजी लाने के लिए अप्रैल, 2015 में एक कार्यबल का भी गठन किया गया था और अब तक कार्यबल की 18 बैठकें हो चुकी हैं।

केन-बेतवा लिंक परियोजना (केबीएलपी) पहली आईएलआर परियोजना है जिसके लिए कार्यान्वयन शुरू किया गया है। दिसंबर, 2021 में भारत सरकार द्वारा परियोजना को 44,605 करोड़ रुपये (वर्ष 2020-21 के मूल्य स्तर पर) की अनुमानित लागत पर कार्यान्वयन के लिए मंजूरी दी गई थी, जिसमें 39,317 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता भी शामिल थी। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, केबीएलपी के कार्यान्वयन के लिए किया गया बजट आवंटन 4,642.03 करोड़ रुपये था, जबकि किया गया व्यय 4,639.46 करोड़ रुपये था। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, परियोजना के लिए 1,400 करोड़ रुपये का बजट आवंटन किया गया था, जबकि किए गए केंद्रीय अनुदान में से व्यय 622.43 करोड़ रुपये था। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए, केन-बेतवा परियोजना के लिए 3,500 करोड़ रुपये का बजट आवंटन किया गया है, जबकि 30.11.2023 तक केंद्रीय अनुदान में से किया गया व्यय 468.31 करोड़ रुपये है।

नदियों को आपस में जोड़ने संबंधी परियोजनाओं के लिए राजविअ द्वारा पिछले पांच वर्षों के दौरान किए गए विभिन्न अध्ययनों, सर्वेक्षणों और अन्वेषण कार्यों आदि पर किए गए व्यय का विवरण **अनुलग्नक III** में दिया गया है।

एनपीपी के अंतर्गत नदियों को परस्पर जोड़ने संबंधी परियोजनाओं के कार्यान्वयन से 34 मिलियन किलोवाट जल विद्युत के उत्पादन और बाढ़ नियंत्रण, नौवहन, जल आपूर्ति में वृद्धि, मत्स्य पालन, लवणता, प्रदूषण नियंत्रण और रोजगार सृजन आदिके अन्य लाभों के अलावा सतही जल से 25 मिलियन हेक्टेयर (हेक्टेयर) सिंचाई, भूजल के बड़े हुए उपयोग से 10 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र को लाभ प्राप्त होंगे। एनपीपी के अनुसार नदियों को आपस में जोड़ने संबंधी कुल परियोजनाओं के कार्यान्वयन से 166 बिलियन घन मीटर जल के दोहन और अंतरण में सहायता मिलेगी और इस पर 8.44 लाख करोड़ रुपए (वर्ष 2015-16 के मूल्य स्तर पर) की अनुमानित लागत आएगी।

जहां तक केन-बेतवा लिंक परियोजना का संबंध है, इस लिंक परियोजना में 1062 लाख हेक्टेयर क्षेत्र (मध्य प्रदेश में 811 लाख हेक्टेयर और उत्तर प्रदेश में 251 लाख हेक्टेयर) को वार्षिक सिंचाई उपलब्ध कराने की परिकल्पना की गई है। यह 62 लाख (मध्य प्रदेश में 41 लाख और उत्तर प्रदेश में 21 लाख) की आबादी को पीने के जल की आपूर्ति के लिए 194 मिलियन क्यूबिक मीटर (एमसीएम) जल प्रदान करेगा और इसकी स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता 103 मेगावाट होगी। परियोजना की अनुमानित लागत 44,605 करोड़ रुपये (वर्ष 2020-21 के मूल्य स्तर पर) है।

अनुलग्नक- III

पिछले पांच वर्षों के लिए नदियों को आपस में मिलाने वाली परियोजनाओं के लिए राजविअ द्वारा किए गए विभिन्न अध्ययनों, सर्वेक्षण और अन्वेषण कार्यों आदि पर किए गए व्यय का विवरण:

वर्ष	व्यय (करोड़ रुपए में)
2019-20	72.32
2020-21	68.78
2021-22	67.35
2022-23	82.33
2023-24 (30.11.2023 तक)	58.62